

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी - ओ०पी० सहारण आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या - 21/14

तहसीलदार धौलपुर वहैसियत लैण्ड होल्डर

----- प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती सोनदेई पत्नी नाहरसिंह जाति जाटव निवासी खेरली
2. विजेन्द्र सिंह | पिसरान चन्दन सिंह
3. लाखन सिंह | जाति ठाकुर नि० खेरली
4. पवन कुमार पुत्र मुन्नालाल वैश्य निवासी खेरली
5. जवाहर सिंह | पि० हैमसिंह कुशवाह
6. ओमप्रकाश | नि० बालगोविन्द काक पुरा
7. बद्रीप्रसाद | पि० नाथूराम जाति बघेला
8. रामजीलाल | नि० विरजापुरा
9. नाथूराम पुत्र बंशीलाल लोधा निवासी खेरली
10. प्रवन्धक पी.एन.बी. शाखा खेरली


----- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177
आरटीए

निर्णय

दिनांक - 23.05.18

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 3424/1972 रकवा 1 वीघा किस्म चा.प्र. बाके ग्राम खेरली तहसील धौलपुर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 की खातेदारी की आराजी है। अप्रार्थी को काश्त करने का पूर्ण अधिकार है किन्तु अकृषि प्रयोजन में लेने हेतु राज० सरकार के नियमों के अन्तर्गत भूमि संपरिवर्तन कराये बिना कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार आराजी मुतनाजा पर अप्रार्थी ने अपने अधिकारों का उल्लंघन कर शर्त भंग की है। अप्रार्थीगण ने बिना भूमि संपरिवर्तन कराये एवं बिना अनुमति के विवादित आराजी खसरा नम्बर 3424/1972 रकवा 1 वीघा ग्राम खेरली पर पी.एन.बी. शाखा खेरली का भवन स्थापित कर दिया है जो कानूनी रूप से अवैद्य है तथा अप्रार्थी के बिना भूमि संपरिवर्तन कराये विवादित भूमि का अकृषि प्रयोजन करने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि पर निहित अपने अधिकारों का हनन कर कृषि भूमि को हानि पहुंचाकर शर्त भंग की है जिसके तहत अप्रार्थी विवादित भूमि से बेदखल किये जाने व


उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज)


विवादित भूमि को सिवायचक किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अंतर्गत भूमि को सिवायचक दर्ज कराने की आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प ग्राम पंचायत ओदी में पेश हुयी। उभयपक्ष उपस्थित आये। अप्रार्थीगण के द्वारा कनवर्जन हेतु फाइल पेश नहीं करना बताया गया। अप्रार्थी सं० 1 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निर्माण कार्य उसके हिस्से में ना होकर अन्य सह खातेदारों के हिस्से में होना बताया। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण ने बिना सक्षम स्वीकृति के अपनी खातेदारी की कृषि भूमि में निर्माण कार्य कर लिया है जिसमें बैंक संचालित है। इस प्रकार अकृषि कार्य किया जा चुका है। अप्रार्थीगण को सूचना के बावजूद भी वह रूपान्तरण नहीं करा रहे हैं। अतः भूमि को आरटीए की धारा 177 के अन्तर्गत सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न नकल जमावन्दी सम्वत् 2069-72 ग्राम खेरली के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 3424/1972 पर अप्रार्थीगण खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड हैं। पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार इस आराजी में बिना सक्षम स्वीकृति के निर्माण कार्य कर बैंक का भवन स्थापित कर लिया है। अप्रार्थीगण के द्वारा अभी तक भूमि रूपान्तरण हेतु आवेदन नहीं करना बताया गया। प्रकरण वर्ष 2014 से लम्बित है। अप्रार्थीगणों को सूचना भी हो चुकी है, बावजूद सूचना के अभी तक भूमि रूपान्तरण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। अप्रार्थी सं० 1 का कथन है कि का कथन है कि उसके द्वारा निर्माण नहीं किया गया है जबकि अन्य सहखातेदारान के द्वारा निर्माण कार्य किया गया है। आराजी संयुक्त खातेदारी की है बिना बटवारा कराये किसी भी सह खातेदार का कोई विशि ठ भू-भाग नहीं माना जा सकता है। इसलिये समस्त आराजी पर समस्त सह खातेदारों का कब्जा माना जाता है।


उपरोक्त आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 852 रकवा 1 वीघा 8 विश्वा ग्राम विरोंधा के खातेदार काश्तकार द्वारा अपनी खातेदारी की कृषि भूमि का बिना सक्षम स्वीकृति के अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है जो कि राजस्थान काश्तकारी नियमों का उल्लंघन है व अप्रार्थी को इसका कोई हक प्राप्त नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के अन्तर्गत हम विवादित आराजी को सिवायचक दर्ज किया जना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 3424/1792 रकवा 1 वीघा ग्राम खेरली तहसील धौलपुर पर खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 के खातेदारी अधिकार समाप्त कर आराजी को सिवायचक घोषित किया जाता है।


उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज.)

तहसीलदार धौलपुर को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कर भूमि से खातेदार को बेदखल कर भूमि कब्जे राज लेकर रिपोर्ट न्यायालय को भिजवावें। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर लोक अदालत कोर्ट कैम्प ग्राम पंचायत खेरली में सुनाया गया।


(ओपीओ सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर